



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 07.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(3). आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न: जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि जनपद में कुल 1152 दुर्गा पूजा पंडालों की स्थापना प्रस्तावित है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जारी मुख्य प्रशासनिक दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-

सभी पूजा पंडालों में आयोजक द्वारा पूर्व से ही अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

अधिशासी अभियंता (विद्युत) को निर्देशित किया गया कि विसर्जन के रास्ते में जर्जर व लटके हुए तारों को तत्काल दुरुस्त कराएं। पंडालों के अंदर खुले तार पाए जाने अथवा कोई अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित पंडाल संचालक जिम्मेदार होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सहायकों के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय व शासन की मंशा के अनुरूप रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अश्लील अथवा भड़काऊ गीतों के प्रसारण पर सख्त रोक रहेगी।

नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी (कर्वी) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे। सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं को पकड़ने हेतु 'कैटल कैचर' का उपयोग कर उन्हें गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक कैटल कैचर की अनिवार्यता के निर्देश दिए गए हैं।

मूर्ति विसर्जन मार्गों को समय से गड़ढा-मुक्त व सुगम बनाया जाए। जिन स्थलों पर सर्वाधिक प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, वहां विशेष व्यवस्थाएं, पेयजल हेतु टैंकर तथा सुरक्षा हेतु गोताखोरों की तैनाती की जाए। विसर्जन स्थल पर तैनात कर्मचारी निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु निरंतर निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ को सड़क सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने हेतु पाबंद किया गया।

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सघन गश्त/पेट्रोलिंग जारी रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाए और किसी भी दशा में बिना अनुमति नए स्थलों पर पंडाल स्थापित न हों। थानों पर पंडाल संचालकों के साथ बैठक कर सभी नियमों से अवगत कराया जाए ताकि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।

(4). आज दिनांक 07.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित प्रधान लिपिक शाखा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा शाखा में रखे गए विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों, यथा पत्रावली इंडेक्स, कैजुअल्टी रजिस्टर, चरित्र पंजिका/सेवा पुस्तिका, जांच, दण्ड, पेंशन आदि का गहनता से अवलोकन एवं मिलान किया गया। इस दौरान अभिलेखों के रख-रखाव एवं प्रविष्टियों की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को समस्त अभिलेखों को अद्यावधिक रखने, व्यवस्थित ढंग से संधारित करने तथा कार्यालयीन कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान प्रधान लिपिक श्री अनुभव सिंह, एसआईएम श्री केशव प्रसाद शुक्ल, एसआईएम श्री भानू प्रताप सहित प्रधान लिपिक शाखा का समस्त कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति, पैरोकार आरक्षी शिवम् गुप्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनांक 07.10.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 243/2021 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त ब्रह्मदत्त सोनी उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 राम बहोरी निवासी रामलीला मैदान कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट उम्र करीब 49 वर्ष को जेल में बिताई गयी अवधि व 1100/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान मय हमराह आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह थाना मऊ द्वारा मु0नं0 91/2022 मु0अ0सं0 227/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारंटी अभियुक्त रामबली उर्फ शिवबली पुत्र राज कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम मनकुवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।